

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/1069/

जबलपुर, दिनांक 10 / 02 / 2026

दो-13-46 / 15

श्री सोहन लाल जोशी, फरार्श, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खंडपीठ इंदौर को हाथ फ़ैक्चर होने के कारण दिनांक 07.07.2025 एक दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 08.07.2025 से 13.08.2025 तक 37 दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक B/1070/

जबलपुर, दिनांक 10 / 02 / 2026

दो-13-46 / 15

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक/प्रशासन/अवकाश/107 इंदौर दिनांक 15.01.2026 के संदर्भ में श्री सोहन लाल जोशी, फरार्श, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खंडपीठ इंदौर का निर्धारित प्रपत्र संलग्न सहपत्र को वापस करते हुए अनुरोध है कि आदेश प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. रजिस्ट्रार (प्रशा.), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित,
3. सहायक अवकाश, स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)